तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज शैतानसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर तृतीय जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 128/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.08.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी शैतानसिंह पुत्र गोपलसिंह सामरिया निवासी कलाल कॉलानी, गली नं.–5, नागोरीगेट, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 04.06.19 में उसके द्वारा (1) जोधपुर निगम निगम चुनाव में कौन कौन से वार्ड आरक्षित है। इन वार्डो का आरक्षण किस आधार पर किया जाता है तथा एस.टी. हेतु वार्ड किस आधार पर आरक्षित किया जाता है, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर तृतीय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर तृतीय जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर तृतीय जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया	